

भाग -4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप. वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>Moradabad की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती हैं।</p>  <p>191917</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक:- 19/07/19
स्थान

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
National Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow
सरकारी मोहर